

मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्र. ए५२-४७/२०१०/२६-२

दिनांक 03-11-11

प्रति,

5-1-2012

1. समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश
2. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश
3. समस्त आयुक्त
नगर निगम, मध्य प्रदेश
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, मध्य प्रदेश
5. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक
सामाजिक न्याय, मध्य प्रदेश
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत, मध्य प्रदेश
7. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका/नगर परिषद, मध्य प्रदेश

विषय:- सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना के संबंध में।

संदर्भ:- लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24.09.2011 में शामिल सेवा क्रमांक 7.1

- 1.1 निराश्रित, निःशक्त, विधवा, परित्यक्ता और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन स्वीकृत की जाती है। इसके तहत ऐसे वृद्ध जो अपने भरण-पोषण की क्षमता नहीं रखते, 18 वर्ष से अधिक आयु की निराश्रित विधवा एवं परित्यक्ता को लाभान्वित किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की सूची में नाम शामिल होना आवश्यक नहीं है।
- 1.2 सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
- 1.3 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
पात्रता के मापदण्ड-
 - 1.3.1 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध हो (बी.पी.एल. श्रेणी के वृद्धों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जायेगा) या
 - 1.3.2 18 वर्ष या अधिक आयु की निराश्रित विधवा महिला (बी.पी.एल. श्रेणी के 40 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित विधवा महिला को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन का लाभ दिया जायेगा)

- 1.3.3 18 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित परित्यक्ता महिला (सरपंच एवं सचिव/वार्ड पार्षद एवं सहायक राजस्व निरीक्षक वार्ड प्रभारी) के संयुक्त प्रमाणपत्र या न्यायालयीन आदेश के आधार पर परित्यक्ता माना जावेगा।
- 1.3.4 14 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित व्यक्ति जिसकी निःशक्तता 40 प्रतिशत से अधिक हो।
(बी.पी.एल. श्रेणी के 18 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित निःशक्त को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निराश्रित निःशक्त पेंशन का लाभ दिया जायेगा)
- 1.3.5 6 वर्ष से 18 वर्ष के गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले बी.पी.एल. परिवार के निःशक्त बच्चे जो स्कूल जाते हों (भले ही वो निराश्रित न हों)

1.4 आवश्यक दस्तावेज-

1.4.1 आयु के लिए निम्नलिखित में से कोई एक

- स्कूल का प्रमाणपत्र/अंकसूची
- जन्म प्रमाणपत्र
- मतदाता सूची
- स्वयं का मतदाता परिचयपत्र
- चिकित्सक प्रमाणपत्र
- उपरोक्त में से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु संबंधी शपथ पत्र।

1.4.2 आवेदक का पासपोर्ट साईज 3 फोटोग्राफ

1.4.3 भूमिहीन होने के संबंध में पटवारी का प्रमाणपत्र

1.5 निःशक्तता पेंशन के लिए अतिरिक्त दस्तावेज-

- चिकित्सक द्वारा जारी 40 प्रतिशत निःशक्तता का प्रमाणपत्र

1.6 विधवा पेंशन के लिए अतिरिक्त दस्तावेज-

- पति का मृत्यु प्रमाणपत्र

1.7 परित्यक्ता पेंशन के लिए अतिरिक्त दस्तावेज-

- सरपंच एवं सचिव/वार्ड पार्षद एवं सहायक राजस्व निरीक्षक (वार्ड प्रभारी) के संयुक्त प्रमाणपत्र के आधार पर
- न्यायालयीन आदेश

1.8 पेंशन राशि- आगामी आदेश तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के ऐसे समस्त निराश्रित वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता एवं विकलांग (निःशक्त) हितग्राही को रु. 150/- प्रतिहितग्राही प्रतिमाह, राज्यांश मद से पेंशन प्रदाय की जायेगी।

1.9 निराश्रित व्यक्तियों से अभिप्राय-

1.9.1 निराश्रित हो अर्थात् उसने अपनी जीविका अर्जित करने की तथा अपनी सम्हाल करने की क्षमता खो चुके हो और उसके भरण-पोषण के लिए उसे सहारा देने वाला कोई न हो।

या

1.9.2 यदि उसके पुत्र/पौत्र भूमिहीन हैं या उनके पास भूमि या संपत्ति होते हुए भी जीविकोपार्जन या भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त आमदनी न हो।

या

- 1.9.3 ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्ति जो अपनी जीविका अर्जित करने में असमर्थ हो तथा उसके भरण-पोषण के लिए सहायता देने वाला कोई न हो।
- 1.9.4 भूमिहीन का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो एक हेक्टेयर असिंचित या आधा हेक्टेयर सिंचित भूमि से कम भूमि धारण करता हो।

1.10 सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार

ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत व नगरीय क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जायेगी जनपद के साधारण सभा की बैठक तथा नगरीय क्षेत्र में निगम/परिषद की बैठक में स्वीकृत/अस्वीकृत किये गये प्रकरणों की सूची अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

1.11 सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया

ग्रामीण क्षेत्र-


- 1.11.1 आवेदक को इस सेवा के प्राप्त करने हेतु आवेदन पदाभिहित अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत) को प्रस्तुत किया जावेगा।
- 1.11.2 पदाभिहित अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत) आवेदन पत्र की नियमानुसार ग्राम पंचायत से जांच उपरांत स्वीकृति की दशा में पेंशन राशि का भुगतान 60 कार्य दिवस में करेगा। आवेदन पत्र अस्वीकृत होने की स्थिति में कारण सहित स्वस्पष्ट आदेश पारित कर आवेदक को सूचित करेगा।
- 1.11.3 वर्तमान प्रचलित प्रक्रिया अनुसार सामाजिकसुरक्षा पेंशन का आवेदन पंचायत सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पंचायत सचिव आवश्यक जांच उपरांत पंचायत के अनुमोदन के साथ आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को भेजता है। इस प्रक्रिया को यथावत् रखते हुए ऐसे प्रकरणों में समयावधि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को आवेदन प्राप्त होने की दिनांक से लागू होगी।

नगरीय क्षेत्र-

- 1.11.4 आवेदन पदाभिहित अधिकारी के रूप में आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद को प्रस्तुत किया जावेगा, उसकी तत्काल पावती संबंधित द्वारा दी जायेगी।
- 1.11.5 आवेदन पर किसी अधीनस्थ से आवश्यक जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा।
- 1.11.6 प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। स्वीकृति की दशा में पेंशन राशि का भुगतान आवेदन दिनांक से किया जायेगा और अस्वीकृति की दशा में कारण सहित स्वस्पष्ट आदेश विहित प्रारूप (संलग्न) में पारित किया जायेगा। यह संपूर्ण कार्यवाही अधिकतम 60 दिवस में पूर्ण होगी।
- 1.11.7 पेंशन की पात्रता होने की स्थिति में पेंशन राशि आवेदन-पत्र पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्राप्त करने के माह से स्वीकृत की जावेगी और राशि का भुगतान स्वीकृति आदेश के साथ ही होगा।
- 1.11.8 पेंशन का अगले माह से भुगतान पेंशन की नियमित प्रक्रिया से होगा।

- 1.12 आवेदक को उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही उसे अभिस्वीकृति प्रदाय की जावेगी। अभिस्वीकृति का प्रारूप संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

- 2.0 अधिसूचित सेवाओं के आवेदन पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शरित को वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम-6 में निर्धारित रजि का संधारण किया जाना चाहिए। एक ही आवेदन को पृथक-पृथक पंजीयन में इन्द्राज आवश्यक नहीं होगा। (परिशिष्ट-3)
- 2.1 आवेदन पत्र लेते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर का उल्लेख भी कराया जावे ताकि आवश्यकतानुसार उसे एसएमएस अलर्ट किया जा सके।
- 2.2 इस सेवा के लिए संदर्भित अधिसूचना अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी ग्रामीण एवं नगर पालिका क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तथा नगर निगम क्षेत्र के लिए कलेक्टर होंगे। इस सेवा के लिए द्वितीय अपीलीय अधिकारी ग्रामीण एवं नगर पालिका क्षेत्र के लिए कलेक्टर तथा नगर निगम क्षेत्र के लिए सभागायुक्त होंगे।
- 2.3 प्रथम अपील के निराकरण की सलाह-सीमा 30 कार्य दिवस होगी।



 उप सचिव
 म.प्र. शासन
 सामाजिक न्याय विभाग

भोपाल दिनांक 5-1-2012

प्रतिलिपि :-

पु.क. 152-87/2010/26-2

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
3. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, सचिव तथा मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।


 उप सचिव

परिशिष्ट-1

निःशुल्क

प्रारूप-1
(भाग-एक)

सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु आवेदन पत्र
(निराश्रित आवेदक द्वारा भरा जावे)

आवेदक
का
फोटोग्राफ

1. आवेदक का नाम पिता/पति.....
जाति
 2. आवेदक की जन्म तिथि/आयु
आयु के संबंध में आवश्यक दस्तावेज
(स्कूल का प्रमाण पत्र/अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची, स्वयं का मतदाता परिचय पत्र, चिकित्सक प्रमाण पत्र, उपरोक्त में से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु के संबंध में शपथ पत्र)
(आवेदक का पासपोर्ट साईज के तीन फोटो)
भूमिहीन होने के संबंध में पटवारी का प्रमाण पत्र
 3. आवेदक के मूल निवास स्थान का पूर्ण पता
 4. आवेदक के वर्तमान निवास स्थान का पूर्ण पता
 5. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (यदि हो तो)
 6. (1) यदि विधवा हो तो पति की
मृत्यु का दिनांक (मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें).....
(2) परित्यक्ता होने की स्थिति में
सरपंच एवं सचिव, वार्ड पार्षद एवं सहायक राजस्व निरीक्षक (वार्ड प्रभारी के संयुक्त प्रमाण पत्र के आधार पर या न्यायालयीन आदेश संलग्न करें ।
(3) बी0पीएल0 सूची क्रमांक (यदि हो तो)
 7. यदि निःशक्त है तो निःशक्तता का प्रकार
- 1- चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न करें
 - 2- निःशक्त छात्र के स्कूल में अध्ययनरत होने का शालेय प्रमाण पत्र संलग्न करें

8. आवेदक के परिवार के समस्त सदस्यों की जानकारी

क्रमांक	ग्राम	संबंध	आयु	व्यवसाय	मासिक आमदनी
1					
2					
3					
4					
5					
	योग				

9. (1) क्या आवेदक भूमिहीन है ?
 (पटवारी द्वारा सत्यापन देवे)
 (2) क्या आवेदक का भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है ?
 (3) यदि आवेदक भूमिहीन नहीं है तो स्वयं/पति/
 पत्नी/पुत्री/पुत्र/पौत्र के नाम भूमि/मकान आदि
 का विवरण दें।
 (4) कृषि भूमि/मकान से मासिक आय रुपये.....
 (5) क्या कण्डिका 9 (3) में अंकित संपत्ति तथा 9 (4) में अंकित
 आय परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त है ?

10. क्या आवेदक को राज्य शासन अथवा किसी स्थानीय सस्था से भरण पोषण हेतु कोई राशि प्राप्त हो रही है ? हां तो कितनी और किस रूप में

11. वर्तमान में जीविका का क्या साधन है.....

संलग्न:-

1. निराश्रित होने का प्रमाण पत्र
2. चिकित्सक द्वारा जारी निःशक्तता का प्रमाण पत्र
3. 6 से 18 वर्ष की उम्र के निःशक्त छात्र का स्कूल जाने का शालेय प्रमाण पत्र (प्राचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा प्रदत्त)
4. परित्यक्ता संबंधी प्रमाण पत्र
5. विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
6. परिवार का बी०पी०एल० सूची क्रमांक

आवेदक के हस्ताक्षर

:: घोषणा पत्र ::

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी पिता/पति.....
निवासी सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि ऊपर बताई
गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही है । यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जावे तो
उपरोक्त राशि मुझसे वसूल की जा सकेगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर
(6 से 18 वर्ष के विकलांग की स्थिति
में पालक के हस्ताक्षर)

4

प्रारूप-1
(भाग - दो)
निःशक्तता का प्रमाण पत्र

मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी..... को
जो श्री का/की/पुत्र/पुत्री/पति/विधवा है
और जो ग्राम नगर तहसील
जिला का/की निवासी है, का स्वास्थ्य परीक्षण तारीख
को किया है ।

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता /करती हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
..... (उर्पयुक्त आवेदक) जिसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नीचे प्रमाणित है । यह शिथिलांग/दृष्टिहीन/मूक/बधिर/निःशक्त है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

(चिकित्सक का पूरा नाम लिखा जावे)

निशानी अंगूठा

पद

अभिप्रमाणित

नाम

चिकित्सक के हस्ताक्षर
पद की सील सहित

राज्य शासन/स्थानीय निकाय
के चिकित्सा अधिकारी के पद की सील सहित

स्थान

दिनांक

प्रा ३प-१

(भाग - तीन)

निराश्रित/आयु/अचल संपत्ति का प्रमाण पत्र

(यह प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा तथा शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा दिया जायेगा)

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूँ आवेदक का नाम (वल्दियत सहित)

(वर्तमान पूर्ण पता सहित)..... निवासी.....
वृद्ध/निःशक्त/विधवा/परित्यक्ता है । आवेदक वयस्क है तथा निर्वाचक नामावली के आधार पर आवेदक की वर्तमान आयु वर्ष..... है/आवेदक अवयस्क है तथा ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा संधारित पंजी या चिकित्सक के प्रमाण पत्र या स्कूल के प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदक की वर्तमान आयु वर्ष है ।

(1) आवेदक पूर्णतः निराश्रित है क्योंकि :-

(अ) आवेदक भूमिहीन है अथवा उसके पास आय के पर्याप्त साधन नहीं है ।

या

(ब) उसके पुत्र/पौत्र भूमिहीन है या उनके पास भूमि/संपत्ति होते हुए भी जीविकोपार्जन के लिए वर्तमान अर्जित आमदनी पर्याप्त नहीं होने से आवेदक का भरण पोषण करने में असमर्थ है ।

(2) आवेदक 6 से 18 वर्ष का निःशक्त शालेय छात्र है तथा उसके परिवार की समस्त स्रोतों से होने वाली वार्षिक आय राशि रुपये है जो गरीबी रेखा हेतु शासन द्वारा निर्धारित सीमा से कम है ।

(3) आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी है ।

प्रमाणकर्ता के हस्ताक्षर

(नाम एवं पदनाम सहित)

ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/पटवारी

द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

स्थान

दिनांक

प्रारूप-1
(भाग - चार)

6 से 18 वर्ष की आयु के निःशक्त शालेय छात्र के संबंध में प्रमाण पत्र

(यह प्रमाण पत्र स्कूल के प्राचार्य/प्रधान अध्यापक द्वारा प्रदान किया जावेगा)

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि (आवेदक का नाम बल्दियल सहित) .
..... निवासी (वर्तमान पूर्ण पता सहित) .

की शालेय रिकार्ड के आधार पर जन्म तिथि है एवं
आयु वर्ष है तथा आवेदक (स्कूल का नाम)
..... की कक्षा का
नियमित छात्र है ।

प्राचार्य/प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर
(नाम एवं पद मुद्रा सहित)

स्थान
दिनांक

प्रारूप-1
(भाग - पंच)
परित्यक्ता महिला होने का प्रमाण पत्र

(यह प्रमाण पत्र आवेदक के ग्रामीण क्षेत्र के निवासी होने की स्थिति में ग्राम पंचायत के संबंधित सरपंच/सचिव तथा शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के संबंधित क्षेत्र के वार्ड पार्षद/सहायक राजस्व निरीक्षक (वार्ड प्रभारी) या न्यायालयीन आदेश द्वारा प्रदाय प्रमाण पत्र)

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि (आवेदक का नाम)
..... (पिता का नाम)
निवासी (वर्तमान पूर्ण पता सहित)
..... पति से
परित्याग किया गया है । श्रीमती अब परित्यक्ता के
रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रही है ।

ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव/नगर निगम/नगर
पालिका/नगर पंचायत के वार्ड पार्षद/सहायक राजस्व निरीक्षक
वार्ड प्रभारी
जिला (म0प्र0)

स्थान
दिनांक

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 5 (1) के अंतर्गत
अभिस्वीकृति का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का
नाम एवं पता

1. आवेदक का नाम एवं पता

2. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय
में आवेदन प्राप्ति का दिनांक

3. सेवा का नाम जिसके लिये
आवेदन दिया गया है

उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा
प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं किन्तु
आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गये हैं

4. निश्चित की गई समय-सीमा
की आखिरी तारीख

स्थान.....

दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)

नोट:- आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु-5 में
उल्लेखित आखिरी तारीख नहीं दी जायेगी।

7
21/05/04

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 नियम 16 के अंतर्गत

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्रारूप
पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम

माह वर्ष

क्र.मांक (1)	आवेदक का नाम एवं पता (2)	रोवा जिसके लिये आवेदन दिया गया है (3)	निश्चित की गई समय-सीमा की आखिरी तारीख (4)	आवेदन स्वीकृत/ निरस्त (5)	पारित आदेश का दिनांक एवं विवरण (6)